5/11/19 पत्रावली प्रस्तुत की गई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी
सं० - 1 ता 3 उपस्थित। वकील अप्रार्थी सं० - 1 तो 3
ने प्रा० पत्र अन्तर्गत 151 CPC का जवाब प्रस्तुत
न कर सीधे बहस करने की अनुमति चाही।
वकील अप्रार्थी सं० - 1 ता 3 को सीधे बहस करने
की अनुमति न्यायालय के द्वारा दी गई।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। न्यायालय
द्वारा इस प्रार्थना पत्र से संबद्ध रूल वाद की
कार्यवाही सिविल न्यायालय में विचाराधीन
कथित वसीयत की वैधता संबंधी वाद के अंतिम
निर्णय होने तक स्थगित की जा चुकी है। अतः
रूल वाद स्थगित किये जाने के कारण इस
प्रा० पत्र के तहत प्रश्नगत भूमि के संबंध
में अप्रार्थी निर्बाधा जाती कब्जा करते न्याय
संगत नहीं है। कथित वसीयत की वैधता के
निर्धारण बगैर मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रथम
दृष्टया बनता प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी
पक्ष के प्रा० पत्र अन्तर्गत 151 सि०प्र० सं. एवं धारा
212 अन्तर्गत रा. का. अ. खारिज किया जाता है।

उक्त फैसला खुले न्यायालय में मेरे
द्वारा लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल
शुमार होकर बाद तकमील नंबर से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।

(signature) 5/11/19

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़